112

बीस रुपये TWENTY RUPEES

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– शेरसिंह मृतक द्वारा विधिक वारिसान
(अ) शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह
(ब) महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शेर सिंह
श्रीमती राजेश्वरी देवी उर्फ विट्टो मृतक द्वारा विधिक वारिसान
2– उंकार सिंह पुत्र स्व. श्री श्याम सिंह
3– ओम प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री श्याम सिंह
4– ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री श्याम सिंह
5– सूर्य प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री श्याम सिंह
6– ज्ञान सिंह मृतक द्वारा विधिक वारिसन
(अ) श्रीमती रोली राठौर पत्नी स्व. श्री ज्ञान सिंह
(ब) देवप्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री ज्ञान सिंह नाबालिग सरपरस्त माँ रोली राठौर
7– श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व. श्री श्याम सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह तोमर
निवासीगण– श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – श्योपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

द्वारा आज दि. 21.4.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
21-4-16

21/4/16

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 215-II/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल श्योपुर द्वारा विभाग के लिये भूमि मांगने पर श्योपुर नगर की भूमि सर्वे क्रमांक 138/2 रकवा 3 वीघा 10 विस्वा अभिलेख में दर्ज पडती कदीम में से 34110 वर्गमीटर अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 14.07.1994 से मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को आवंटित की। जबकि यह भूमि पूर्व में अपर कलेक्टर जिला श्योपुरकला द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 14.05.1982 से श्योपुर नगर की भूमि सर्वे क्रमांक

Rev. 9052-I/16 (श्योपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21-4-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 215–दो/05 में पारित आदेश दिनांक 19–2–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।	
	2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से मान्य किया है कि आवेदकगण के पूर्वज तहसीलदार सिंह को शासकीय भूमि दुग्ध डेरी संचालन के लिए दी गई थी और उसका उपयोग वर्तमान तक अनावेदकगण (इस न्यायालय में आवेदकगण) द्वारा कियका जा रहा है । इससे ही यह प्रमाणित है कि आवेदक एवं उसके पूर्वज द्वारा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि जहां तक अपर कलेक्टर श्री पिल्लई के द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा 24–6–2000 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्योपुर का कार्यभार अवश्य ग्रहण किया है किंतु वे अपर कलेक्टर, श्योपुर के पद से दिनांक 5–7–2000 को आदेश पारित किए जाने के उपरांत अपर कलेक्टर के पद से भारमुक्त हुए थे, अपर आयुक्त ने इस तथ्य को अनदेखा किया है । उक्त तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा भी आलोच्य आदेश में अनदेखा	Attested 21/4/2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 9052–एक/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदे ।	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया है जबकि उक्त आधार आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे, इस कारण आलोच्य आदेश पुनरावलोकन योग्य है । उक्त आधार पर उनके द्वारा पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । 4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के उपयोग किए जाने के संबंध में जो आधार दिया गया है, इसकी पुष्टि अपर आयुक्त के आदेश से होती है । अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिनांक के संबंध में उनका तर्क औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । उक्त तर्कों पर विचार इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय न्यायिक रूप से नहीं हुआ है । इस कारण इस प्रकरण में पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16–2–16 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण निगरानी 215–दो/05 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।	